कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला (म0प्र0)

क्रमांक क/सां.लि./एक–9–2/2009 मण्डला, दिनांक– जनवरी 2023

//सिविल कार्य विभाजन आदेश//

न्यायिक जिला स्थापना मंडला में नये न्यायालयों का सृजन होने के फलस्वरूप मैं आर.एस.शर्मा, प्रधान जिला न्यायाधीश, मण्डला, (म0प्र0) सिविल कोर्ट अधिनियम 1955 की धारा 15 एवं 21(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी सिविल कार्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुए निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश पारित करता हूँ, जो जारी होने की दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा :–

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	क0	प्रकरणों का प्रकार जिनके निराकरण का क्षेत्राधिकार होगा।
1	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला एवं सदस्य मोटरयान दुघर्टना दावा अधिकरण मण्डला	सिविल जिला मण्डला	1.	रूपये 2,00,00,001/– (रूपये दो करोड़ एक) से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद वर्ग–अ एवं ब के वाद
			2.	मुख्यालय मण्डला एवं भुआ बिछिया में पदस्थ सभी सिविल जज (वरिष्ठ या कनिष्ठ खण्ड) एवं ग्राम न्यायाधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत नियमित या विविध व्यवहार अपील।
			3	म.प्र. लोक फण्ड ऑडिट एक्ट 1933 की धारा 14 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			4.	म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत चुनाव याचिका।
			5.	भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 72, 73, 74 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिका एवं आवेदन पत्र।
			6	म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील एवं धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			7	म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 31 के अंतर्गत पेश अपील।
			8.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णय अधिकारी मण्डला द्वारा पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील।
			9.	मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकायें।
			10.	धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवेदन पत्र।
			11.	विधि द्वारा विहित अन्य कोई प्रकरण या अपील या याचिका, आवेदन जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र न हो।
02.	प्रथम जिला न्यायाधीश मण्डला के न्याया.के अति. न्यायाधीश एवं सदस्य अति.	तहसील मण्डला	1.	तहसील मण्डला से उद्भूत रूपया 1,00,00,001 (एक करोड़ एक रूपये) से 2,00,00,000 (दो करोड़ रूपये) तक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद वर्ग अ एवं ब।

	मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डला		2.	रूपये 500/– से 1000/– तक लघुवाद प्रकरण।
			3.	ऐसे समस्त दुर्घटना दावा प्रकरण, जिनके दावेदार तहसील मण्डला क्षेत्र में निवास करते हैं या इस क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो।
			4.	सिविल जिला मण्डला के गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट के समस्त प्रकरण ।
			5.	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
03.	प्रथम जिला न्यायाधीश मण्डला		1	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
04.	तृतीय जिला न्यायाधीश एवं सदस्य तृतीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डला एवं श्रृंखला न्यायालय नैनपुर	तहसील नैनपुर	1	रूपया 1,0000001/–(एक करोड़ एक रूपये) से 2,0000000/–(दो करोड़ रूपये) तक के नियमित व्यवहार वाद अ एवं ब ।
			2	हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पेश प्रकरण।
			3.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ या कनिष्ठ खण्ड नैनपुर द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरूद्ध पेश व्यवहार अपील।
			4.	तहसील नैनपुर से उद्भूत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकरण जिसमें दावेदार उस क्षेत्र में निवासरत हो या इस क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो।
			5	रूपये 500/– से 1000/– तक लघुवाद प्रकरण।
			6	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
05.	चतुर्थ जिला न्यायाधीश एवं सदस्य चतुर्थ अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डला,	सिविल जिला मण्डला	1	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
06.	पंचम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य पंचम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डला	तहसील बिछिया एवं घुघरी	1	रूपया 1,0000001/–(एक करोड़ एक रूपये) से 2,0000000/–(दो करोड़ रूपये) तक के नियमित व्यवहार वाद अ एवं ब ।
			2.	रूपये 500/– से 1000/– तक लघुवाद प्रकरण।
			3	तहसील बिछिया व घुघरी से उद्भूत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकरण, जिसमें दावेदार इस क्षेत्र में निवासरत हो या इस क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
		तहसील घुघरी	5	हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।

07.	प्रथम जिला न्यायाधीश की न्यायालय के द्वितीय अति0 जिला न्यायाधीश मंडला	राजस्व जिला मंडला	1	मंडला जिला से उत्पन्न भू–अर्जन अधि0 के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण ।
			2	मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत राजस्व जिला मंडला से संबंधित प्रकरण (बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की ऋण वसूली के ऐंसे प्रकरणों को छोड़कर, जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को प्राप्त है) ।
			3	विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 (1963 का 47) की धारा 20(ख) से संबंधित समस्त प्रकरण
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
08.	जिला न्यायाधीश निवास, मण्डला एवं अतिरिक्त मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण निवास	तहसील निवास एवं नारायणगंज	1	तहसील निवास एवं नारायणगंज से उद्भूत होने वाले रूपया 1,00,00,001/– (एक करोड़ एक रूपये) से 2,00,00,000/–(दो करोड़ रूपये) तक के नियमित व्यवहार वाद वर्ग अ एवं ब।
			2	रूपये 500/– से 1000/– तक लघुवाद प्रकरण।
			3.	हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
			4.	निवास में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीशों द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरूद्ध पेश व्यवहार अपील।
			5.	तहसील निवास एवं नारायणगंज से उद्भूत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकरण, जिनमें दावेदार इस क्षेत्र में निवासरत हों या इस क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो।
			6.	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
09.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला, निवास, नैनपुर, बिछिया एवं घुघरी	1	मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 139, 172 के अंतर्गत पेश अपील।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
			3	सिविल जज, वरिष्ठ खण्ड की सुनवाई योग्य अन्य कोई आवेदन पत्र एवं अपील (किसी अधिनियम द्वारा प्राधिकृत)।
10.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला, निवास, नैनपुर, बिछिया एवं घुघरी	1	5,000,01/– (पांच लाख एक रूपये) से रूपये 5000000/– (पचास लाख रूपये तक) व्यवहार वाद अ एवं ब।
			2	500/– मूल्य तक के लघुवाद प्रकरण।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
11.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ	राजस्व जिला मण्डला की तहसील	1	5,0000,01/– (पचास लाख एक रूपये) से रूपये 1,0000000/– (एक करोड़ रूपये तक) व्यवहार

	खण्ड मण्डला	मण्डला, निवास, नैनपुर, बिछिया एवं घुघरी		वाद अ एवं ब।
			2	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग–10 के अंतर्गत प्रकरण।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
12.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील घुघरी	1	200001/– रू. से 5,000,00/–रू. (दो लाख एक रूपये से पांच लाख रूपये) तक वादमूल्य के सभी व्यवहार वाद ।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
		ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रदत्त क्षेत्राधिकार	3	माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 3415 दिनांक 06–10–2008 के द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमा तक उत्पन्न होने वाले सिविल प्रकरण।
13.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला	1	2,000,00/–रू. (दो लाख रूपये) तक वादमूल्य के सभी प्रकार के नियमित व्यवहार वाद ।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
14.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड निवास	तहसील निवास	1	5,000,00/– (पांच लाख रूपये) वादमूल्य तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद ।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
15.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड निवास	तहसील नारायणगंज	1	5,000,00/– (पांच लाख रूपये) तक वादमूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद ।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
16.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नैनपुर	तहसील नैनपुर	1	5,000,00/– (पांच लाख रूपये) वादमूल्य तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद ।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
17.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बिछिया	तहसील बिछिया	1	5,000,00/– (पांच लाख रूपये) तक वादमूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।

<u>टीप</u> –

1– कार्यालय अनुभाग में ऑफिस मोहर्रिर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले व्यवहार वाद "अ" एवं "ब" प्रकरण सीधे केन्द्रीय पंजीयन अनुविभाग में सिविल कार्य विभाजन आदेश, प्रभावी होने की दिनांक से प्रस्तुत किये जायेंगे।

2– जिन न्यायालयों/अधिकरण द्वारा मूल प्रकरण, विविध न्यायिक प्रकरण, आवेदन पत्र, क्लेम, पिटीशन, निर्णीत किये गये हों, उनके निष्पादन प्रकरण व विविध प्रकरण या उससे उद्भूत कोई आवेदन पत्र भी उसी न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

3– जब कभी पुनर्स्थापना अथवा एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने का आवेदन मूल आदेश पारित करने वाले न्यायालय से भिन्न न्यायालय द्वारा

निराकृत किया जाए, तब मूल पुनर्स्थापित प्रकरण उसी न्यायालय द्वारा सुना एवं निराकृत किया जायेगा, जिसने प्रकरण पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है।

4— म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1955 की धारा—21(4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन आदेश दिया जाता है, कि ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश में समस्त न्यायालय द्वारा कार्य विभाजन आदेश के अन्तर्गत आवंटित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले अत्यावश्यक कार्य का निराकरण कर सकेंगे।

5— माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के परिपत्र क्र0 सी/66/तीन—19—12/89 (मुख्य) जबलपुर दिनांक 19—12—2014 के प्रकाश में परिवार न्यायालय मण्डला के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में परिवार न्यायालय के लंबित प्रकरण से उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक कार्य प्रथम जिला न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) मण्डला के द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

6— मंडला मुख्यालय पर किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नियमित न्यायाधीश या ट्रेनी जज के न्यायालय के रिक्त होने पर उसके द्वारा निराकृत प्रकरण से उद्भूत कोई आवेदन पत्र या निष्पादन प्रकरण या रिमांड प्रकरण द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला द्वारा ग्रहण कर निराकृत किया जायेगा।

7— मंडला मुख्यालय या तहसील निवास/नैनपुर में किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के रिक्त होने पर उस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत कोई आवेदन, निष्पादन प्रकरणों या रिमांड प्रकरणों को प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला द्वारा ग्रहण कर निराकृत किया जायेगा।

8— श्रृंखला न्यायालय, नैनपुर में कार्यरत न्यायाधीश मुख्यालय मण्डला में कार्य के दौरान अपनी श्रृंखला न्यायालय से संबंधित क्षेत्र से उद्भूत मोटर दुघ र्टना दावा प्रकरणों, अपील या अन्य आवेदनपत्रों को ग्रहण कर निराकृत करेंगे तथा आगे ऐंसे मामले श्रृंखला न्यायालय में पंजीबद्ध कर सुने जा सकेंगे।

9— द्वितीय जिला न्यायाधीश मंडला की न्यायालय रिक्त होने के फलस्वरूप उनकी न्यायालय से संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों से उद्भूत होने वाली विविध कार्यवाहियों (चैक,निष्पादन प्रकरण,एम.जे.सी. प्रकरण आदि) से संबंधित प्रकरणों/ आवेदनपत्रों का निराकरण न्यायालय—प्रथम जिला न्यायाधीश की न्यायालय के द्वितीय अति0 जिला न्यायाधीश मंडला द्वारा किया जाएगा ।

10— चतुर्थ जिला न्यायाधीश मंडला की न्यायालय पॉक्सो न्यायालय अधिसूचित होने के फलस्वरूप उनकी न्यायालय से संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों से उद्भूत होने वाली विविध कार्यवाहियों (चैक,निष्पादन प्रकरण,एम.जे.सी. प्रकरण आदि) से संबंधित प्रकरणों/आवेदनपत्रों का निराकरण न्यायालय—चतुर्थ जिला न्यायाधीश मंडला द्वारा ही किया जाएगा ।

11— यदि मुख्यालय मंडला में पूर्व अपर जिला न्यायाधीश (वर्तमान पदनाम—जिला न्यायाधीश) का कोई न्यायालय (द्वितीय जिला न्यायाधीश मंडला की न्यायालय को छोड़कर) रिक्त रहता है, तो उस न्यायालय द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों के रिमांड होने या उससे उत्पन्न अन्य अनुषांगिक कार्यवाही की सुनवाई प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मंडला द्वारा की जायेगी तथा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश का पद रिक्त होने की दशा में मुख्यालय में कार्यरत अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जायेगी ।

12— वर्तमान में न्यायिक स्थापना नैनपुर व बिछिया में केवल 1—1 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कार्यरत हैं। अतः वहां पर पूर्व में कार्यरत किसी व्यवहार न्यायाधीश का पद रिक्त होने की दशा में उस न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वाद/अन्य अनुषांगिक कार्यवाही से उद्भूत प्रकरणों की सुनवाई वहां कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड द्वारा की जायेगी । यदि वहां व्यवहार न्यायाधीश का पद रिक्त रहता है, तो उस दशा में सुनवाई मुख्यालय में पदस्थ उस न्यायाधीश द्वारा की जायेगी, जिसे उस न्यायालय का प्रभार दिया गया है ।

13— तहसील निवास में पूर्व में कार्यरत यदि कोई न्यायालय रिक्त हो, तो उस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों के रिमांड होने पर या अन्य अनुषांगिक कार्यवाही द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड निवास द्वारा की जायेगी । यदि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड निवास का पद रिक्त रहता है, तो ऐंसे प्रकरणों में सुनवाई कार्यवाही प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड निवास द्वारा की जायेगी ।

14— न्यायालय—तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड मंडला रिक्त रहने तक उस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाली विविध/निष्पादन कार्यवाहियों से संबंधित प्रकरणों/आवेदनपत्रों का निराकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड मंडला द्वारा किया जाएगा ।

(आर.एस.शर्मा)
प्रधान जिला न्यायाधीश,
मण्डला(म0प्र0)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,मण्डला म0प्र0

खण्ड–2

क्रमांक क/सां.लि./एक–9–2/2009 मण्डला, दिनांक–जनवरी 2023

//आपराधिक कार्य विभाजन आदेश//

मैं आर.एस.शर्मा, सत्र न्यायाधीश, मण्डला दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(2), धारा 194, 381(2) एवं 400 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सत्र खण्ड मण्डला में कार्यरत सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के मध्य सत्र प्रकरणों के विचारण हेतु पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश को निरस्त करते हुए निम्नानुसार आपराधिक कार्य विभाजन आदेश पारित करता हूं, जो जारी होने की दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा।

//सत्र एवं विशेष न्यायालय//

क्रं 0	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	क्र.	प्रकरणों के प्रकार जिनके निराकरण का क्षेत्राधिकार होगा
1	2	3	4	5
1.	सत्र न्यायाधीश मण्डला	सम्पूर्ण सत्र खण्ड मण्डला	1.	समस्त सत्र प्रकरण
			2.	समस्त दांडिक अपील
			3.	समस्त दांडिक पुनरीक्षण
			4.	धारा 199(2) द0प्र0सं0 के अंतर्गत पेश परिवाद पत्र।
			5.	अधिसूचित सभी विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराधों में प्रस्तुत होने वाले धारा 438 एवं 439 दं. प्र.सं. के आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष जमानत आवेदन पत्र।
			6.	सम्पूर्ण सत्र खण्ड के अंतर्गत धारा 408, 409, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उद्भूत आवेदन पत्र।
			7.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			8	अन्य ऐसा आवेदन या कोई प्रकरण जिसका उल्लेख इस काय विभाजन पत्रक में अन्यत्र न हो।
2	विशेष न्यायाधीश (प्राधिकृत अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) मण्डला	सत्र खण्ड मण्डला	1.	सत्र खण्ड मण्डला के अंतर्गत सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के मामले एवं उनसे संबंधित आवेदन पत्र (पाक्सो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)
			2	सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
3	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला	सत्र खण्ड मण्डला	1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत पेश प्रकरण।
			2	सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
4	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला एवं श्रृंखला न्यायालय नैनपुर	सत्र खण्ड मण्डला	1	थाना नैनपुर से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण।
			2	सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण एवं आवेदन पत्र।

5	चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला	सम्पूर्ण सत्र खण्ड मण्डला	1	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आने वाले विशेष प्रकरण (मुख्यालय मण्डला)
			2	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक डी / 1869 / तीन–6–5 / 10 / तीन–6–6 / 84 जबलपुर दिनांक 18.6.2021 के पालन में पॉक्सो अधिनियम के साथ जिन प्रकरणों में एस.सी. / एस. टी. की धाराएँ सम्मिलित है। (मुख्यालय मण्डला)
			3	सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
6	पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला	सत्र खण्ड मण्डला	1	मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम 2003 के प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
			2	सनसनीखेज व जघन्य अपराध के रूप में चिन्हित सत्र प्रकरण।
			3	सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
7	प्रथम अति0 सत्र न्यायाधीश की न्यायालय के द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश मण्डला	सत्र खण्ड मण्डला	1	स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 36क के अनुसार 3 वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय अपराध के सभी प्रकरण एवं उनसे संबंधित आवेदन पत्र।
			2	नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 (NIA Act 2008) से संबंधित प्रकरण / आवेदनपत्र
			3	सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
8	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवास	सत्र खण्ड मण्डला	1	थाना टिकरिया, बीजाडांडी एवं निवास से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आने वाले विशेष प्रकरण।
			2	सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
		तहसील निवास	3	दाण्डिक अपील, दाण्डिक रिवीजन, विविध कार्यवाही एवं जमानत आवेदन पत्र।

<u>टीप</u> –

1. सभी अधिसूचित विशेष न्यायालयों के रिमाण्ड, जमानत आवेदन, अभियोग पत्र तथा विशेष प्रकरण से उद्भूत आवेदन सीधे संबंधित विशेष न्यायालय में पेश किये जायेंगे।

2– सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने या पद रिक्त होने की दशा में प्रथम जमानत आवेदन विशेष सत्र न्यायाधीश (एट्रोसिटी) द्वारा सुना जायेगा। यदि प्रथम आवेदन अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुना गया है, तो पश्चातवर्ती जमानत आवेदन उसी न्यायालय को स्वतः अंतरित माना जायेगा।

3– सत्र न्यायाधीश मंडला एवं सभी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशगण के अवकाश पर होने अथवा उन सभी के पद रिक्त होने की आपवादिक दशा में धारा 10(3) दं0प्र0सं0 के अनुसार सत्र प्रकरणों में प्रस्तुत होने वाले त्वरित निराकरण योग्य आवेदन अथवा जमानत आवेदन का निराकरण करने का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडला को रहेगा।

4– श्रृंखला न्यायालय नैनपुर में पदस्थ न्यायाधीश अपनी श्रृंखला न्यायालय से संबंधित क्षेत्र के आपराधिक मामलों में प्रस्तुत किये जाने वाले जमानत आवेदन पत्र तथा दाण्डिक अपीलों में सजा स्थगन की कार्यवाही की सुनवाई तथा अन्य कोई आवश्यक कार्य श्रृंखला न्यायालय के कार्य दिवस के बाद भी मुख्यालय मण्डला में कर सकेगें।

5– तहसील निवास के प्रभार लिपिक जमानत आवेदन का पंजीयन मुख्यालय मण्डला में उपस्थित होकर करेंगे।

7– यदि मुख्यालय मंडला में पूर्व अति0 सत्र न्यायाधीश का कोई न्यायालय रिक्त रहता है, तो उस न्यायालय द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों के रिमांड होने या उससे

उत्पन्न अन्य अनुषांगिक कार्यवाही की सुनवाई प्रथम अति0 सत्र न्यायाधीश मंडला द्व ारा की जायेगी तथा प्रथम अति0 सत्र न्यायाधीश का पद रिक्त होने की दशा में मुख्यालय में कार्यरत अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जायेगी ।

(आर.एस.शर्मा)
प्रधान जिला न्यायाधीश,
मण्डला(म0प्र0)

खण्ड–3

अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश

क0	अवकाश पर रहने वाले पीठासीन अधिकारी।	पीठासीन अधिकारी का पदनाम जिन पर प्रथम प्रभार रहेगा।	पीठासीन अधिकारी का पदनाम जिन पर द्वितीय प्रभार रहेगा।
1	2	3	4
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडला	प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अति0 न्याया0 मंडला।	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंडला
2	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की न्यायालय के प्रथम अति0 न्याया0 मंडला	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला।	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला
3	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला।	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला
4	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला एवं श्रृंखला न्यायालय नैनपुर	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला।	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला
5	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला।	प्रथम जिला न्यायाधीश की न्यायालय के द्वितीय अति0 जिला न्यायाधीश मंडला
6	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला	प्रथम जिला न्यायाधीश की न्यायालय के द्वितीय अति0 जिला न्यायाधीश मंडला	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला
7	प्रथम जिला न्यायाधीश की न्यायालय के द्वितीय अति0 जिला न्यायाधीश मंडला	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला।	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला
8	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवास	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला।	प्रथम जिला न्यायाधीश की न्यायालय के द्वितीय अति0 जिला न्यायाधीश मंडला
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड मंडला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला
10	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड मंडला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला
11	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड मंडला	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मंडला	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला
12	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मंडला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मंडला
13	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मंडला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मंडला
14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवास	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मण्डला
15	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवास	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला
16	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नैनपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मण्डला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मण्डला
17	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बिछिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला

नोट :–

1. कालम 3 एवं 4 में दर्शित पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश/वरिष्ठतम व्यवहार

न्यायाधीश न्यायालयीन कार्य सम्पादित करेंगे।

2. किसी भी न्यायिक अधिकारी के स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर पदस्थ पीठासीन अधिकारी के संबंध में भी यह कार्य विभाजन पत्रक पूर्ववत लागू रहेगा।

दिनांक– .....

(आर.एस.शर्मा)
प्रधान जिला न्यायाधीश,
मण्डला(म0प्र0)

पृष्ठांकन क. /एक–9–2/2002 मण्डला, दिनांक 2023

<u>प्रतिलिपि</u> –

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मण्डला।
2. श्री एस. एस. परमार विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति 'अत्याचार निवारण' अधि0) मंडला,
3. प्रथम/चतुर्थ/पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश मण्डला
4. श्री डी.आर. अहिरवार तृतीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश मण्डला एवं श्रृंखला न्यायालय नैनपुर
5. श्री सुभाष सुनहरे प्रथम जिला न्यायाधीश की न्यायालय के द्वितीय अति0 न्यायाधीश मंडला व विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) मंडला
6. श्री मनोज लढ़िया जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश निवास
7. श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला
8. श्री रवि चौकसे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
9. श्रीमती शालू सिरोही चौकसे तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
10. श्री नरेश सिंह गोंड़ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
11. सुश्री फातिमा अली द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
12. श्री सीताराम दास प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवास
13. श्रीमति अंजली सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवास
14. सुश्री जागृति एस. चंद्रकापुरे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नैनपुर
15. सुश्री श्वेता परते व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भुआ बिछिया
16. प्रस्तुतकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडला
17. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ मण्डला/निवास/नैनपुर/बिछिया।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर.एस.शर्मा)
प्रधान जिला न्यायाधीश,
मण्डला(म0प्र0)